उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग 2-
संख्या-83/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी0सी0-277-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(341)-2025
लखनऊ: दिनांक:13-02-2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों पर, एतदद्वारा अधिसूचना संख्या KA.NI.-2-842/XI-9(47)/17-U.P.Act-1-2017-Order-(09)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,-

(i) *स्पष्टीकरण* से संबंधित पैरा 4 में, दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, -

(क) खंड (xxxv) को निकाल दिया जाएगा;

(ख) खंड (xxxvi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

" (xxxxvi) किसी वित्तीय वर्ष के लिए "विशिष्ट परिसर" का तात्पर्य है,-

(क) ऐसा परिसर जहां से पूर्तिकर्ता ने पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसी 'होटल आवास' सेवा प्रदान की है, जिसमें आवास की किसी इकाई की पूर्ति का मूल्य प्रति इकाई प्रति दिन सात हजार पांच सौ रुपये से अधिक या समतुल्य है; या

(ख) ऐसा परिसर जिसके लिए 'होटल आवास' सेवा प्रदान करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने पिछले वित्तीय वर्ष की पहली जनवरी या उसके बाद तथा 31 मार्च से पूर्व उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है; या

(ग) ऐसा परिसर जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण आवेदन के लिए पावती प्राप्त करने के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है;";

(ii) उपाबंध VI के पश्चात् निम्नलिखित उपाबंध जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात्:-

"उपाबंध VII

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए ऑप्ट-इन घोषणा

(पैरा 4(xxxvi) देखें)

होटल आवास सेवा की पूर्ति करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा क्षेत्र अधिकारिता वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/ हम .... (व्यक्ति का नाम) एतदद्वारा यह घोषणा करते हैं कि ....(पता)...................... पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष .... (वाइवाइवाइवाइ-वाइवाइ)............ के लिए 'विशिष्ट परिसर' होगा।

2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा ऊपर (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और पश्चातवर्ती वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम उपाबंध IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन: -

पैन संख्या

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट:

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने वाली उपरोक्त घोषणा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।

2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

उपाबंध VIII

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए ऑप्ट-इन घोषणा

(पैरा 4(xxxvi) देखें)

क्षेत्र अधिकारिता वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/हम .... (व्यक्ति का नाम) ने एआरएन संख्या .... के तहत

पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ....(पता) .... पर स्थित परिसर रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी दिनांक से वित्तीय वर्ष के अंत तक 'विशिष्ट परिसर' होगा।

2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा आगामी वित्तीय वर्षों पर भी लागू होगी, जब तक कि मैं/हम **उपाबंध** IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम: -

एआरएन: -

पैन संख्या

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट: उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

उपाबंध IX

ऑप्ट-आउट घोषणा

(पैरा 4 (xxxvi) देखें)

होटल आवास सेवा के रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता द्वारा क्षेत्र अधिकारिता वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष घोषणा कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/हम .... (व्यक्ति का नाम) एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ....(पता)...... पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष ....(वाइवाइवाइवाइ-वाइवाइ)......... के लिए 'विशिष्ट परिसर' नहीं होगा।

2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा उपरोक्त (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम **उपाबंध VII** में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन/एआरएन: -

पैन संख्या

67/2025

1/878695/2025

11-2099/33/2025-कर एवं नबिंधन अनुभाग-2-state tax department

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट:

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त घोषणा जो यह घोषित करती है कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है, पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके पश्चात लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।

2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए पृथक से दाखिल करनी होगी।"

आज्ञा से,

Signed by
M Devaraj
Date: 13-02-2025 12:13:54

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।